

फा. सं. 05 / 16/2018-सीएमयू

भारत सरकार

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था

(नीति आयोग)

संसद मार्ग,

नई दिल्ली -110001

दिनांक: -27/11/2018

### ई-निविदा नोटिस

विषय: नीति आयोग के समिति कक्षों में एक उन्नत संस्करण वाली ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग / पीए सिस्टम (सभी आवश्यक सहायक उपकरण के साथ अध्यक्ष / प्रतिनिधि इकाइयां) की प्रतिस्थापना के लिए ऑन-लाइन बोलियों का आमंत्रण।

नीति आयोग के समिति कक्षों में पुनर्खरीद, विशेष रूप से निर्मित और जहां है जैसा है आधार पर एक उन्नत संस्करण वाली ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग / पीए सिस्टम (सभी आवश्यक सहायक उपकरण के साथ अध्यक्ष / प्रतिनिधि इकाइयां) की प्रतिस्थापना के लिए 27/11/2018 की निविदा अधिसूचना सं. 05/16/2018-सीएमयू के विरुद्ध ऐसे मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) अथवा उनके वितरकों/प्राधिकृत डीलरों से सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 161 के तहत दो बोली प्रणाली-तकनीकी बोली और वित्तीय बोली- में ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं जिन्हें ओईएम से अधिकारप्राप्त हों।

2. निविदा प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बोलीदाताओं के लिए पात्रता की महत्वपूर्ण शर्तें अनुलग्नक-1 पर दी गई हैं। बोलीदाताओं के लिए अनुदेश अनुलग्नक-2 में दिए गए हैं।
3. निविदा के नियम और शर्तें अनुलग्नक-3 में हैं।
4. बोली लगाने वाले ओईएम या उनके वितरक / प्राधिकृत व्यापारी (बोलीदाता) के विवरण मांगने वाले निविदा आवेदन पत्र अनुलग्नक-4 पर हैं।
5. चेकलिस्ट में दिए गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ तकनीकी प्रस्तुति प्रपत्र का प्रारूप अनुलग्नक -5 में है।
6. आवश्यक वस्तुओं / उपकरणों के तकनीकी विनिर्देश अनुदानक -6 में हैं।
7. आवश्यक उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशों और ओईएम द्वारा इसकी विधीक्षा के साथ अनुपालन के संबंध में बोलीदाताओं से मांगी गई जानकारी का प्रारूप अनुलग्नक-7 में है।
8. बोलियों के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच-सूची अनुलग्नक -8 पर है।

9. बोलीदाताओं को अनुलग्नक -9 में दिए गए वित्तीय बोली प्रारूप में ही बोलियां जमा करनी होंगी। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य आदेश देते समय विभिन्न वस्तुओं / उपकरणों की वास्तविक मात्रा संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

10. ऑनलाइन बोली प्रस्तुति संबंधी अनुदेश अनुलग्नक-11 पर हैं।

11. (i) बयाना जमा (ईएमडी): बयाना जमा के रूप में 2,00,000 / - रुपये (केवल दो लाख रुपए) की जमा राशि (ईएमडी) की स्कैन की गई प्रति को मूलरूप में निविदा और ईएमडी के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। इसे एक लिफाफे में डालें और उसके ऊपर स्पष्ट अक्षरों में "ऑडियो कॉन्फ्रैंसिंग / पीए सिस्टम की प्रतिस्थापना के लिए ईएमडी" लिखकर उसे कक्ष संख्या 326 में व्यक्तिशः तकनीकी अधिकारी, संचार कक्ष, नीति आयोग में 28/11 / 2018 से 18/12/2018 के बीच किसी भी कार्य दिवस पर 5:30 बजे तक उपलब्ध करा दें। ऐसा न करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

(ii) संविदा निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि (सीपीएसडी): सफल बोलीदाता (एल, बोलीदाता) को वाणिज्यिक बैंक से आदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी (बैंक द्वारा जारी करने की तारीख से बासठ माह की विधिमान्यता अवधि के साथ) के रूप में कुल संविदा मूल्य के 10% की संविदा निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि (सीपीएसडी) जमा करवानी होगी।

12. ऑनलाइन बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि और समय 18/12/2018 तक अपराह्न 5:30 बजे तक होगा। बोलियां 20/12/2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विधिवत गठित निविदा उद्घाटन समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जाएंगी। प्रत्येक भाग लेने वाली फर्म / एजेंसी / कंपनी के निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र होने पर, एक अधिकृत प्रतिनिधि, जो निविदा खोलने की प्रक्रिया को देखने के लिए उपस्थित होने की इच्छा रखता हो, को ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

13. पात्रता की शर्तों के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज निविदा दस्तावेज के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के हित में, अनुलग्नक -8 में बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियों के साथ वांछित कागजात / दस्तावेजों को जमा करें और ऐसा न करने पर उनकी बोलियां बिना किसी अगले संदर्भ के गैर-अनुक्रियाशील घोषित की जा सकती हैं।

13. निविदा सूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्ण निविदा दस्तावेज केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (<http://eprocure.gov.in/eprocure/app>) और नीति आयोग की वेबसाइट (<http://niti.gov.in>) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। समिति कक्ष (कक्षों) के निरीक्षण की तिथि और समय सहित इस निविदा के संबंध में नीति आयोग द्वारा जारी की गई कोई भी जानकारी या कोई भी शुद्धिपत्र केवल केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल और नीति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। हालांकि, यदि किसी

स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो इस निविदा की समाप्ति की तिथि से पहले, फोन-23042567, 23042212 या maps-pc@gov.in पर ईमेल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

14. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे वितरक / डीलर द्वारा पेश किए गए उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशों की विधीका के साथ ओईएम द्वारा उनके पक्ष में जारी निविदा-विशिष्ट प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी बोलियां सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।

15. अनुलग्नक -9 में दिए गए वित्तीय बोली प्रारूप में मदवार दरें भारतीय रूपये में उद्धृत की जानी चाहिए।

(अजय कुमार नेमा)  
निदेशक (संचार)

दूरभाष:011-23042237

प्रतिलिपि:

एनआईसी,नीति आयोग को इस अनुरोध के साथ कि वे निविदा दस्तावेज को नीति आयोग की वेबसाइट (<http://eprocure.gov.in/eprocure/app>) पर अपलोड करें।